

Explanation.—

- (i) In this Table, “tariff item”, “sub-heading”, “heading” and “chapter” shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapters as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
 - (ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.
2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2019.

By order,
JAGDISH CHANDER SHARMA,
Principal Secretary (E&T).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मार्च, 2019

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-4 / 2019-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-3-2019 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 6) को वर्ष 2019 के अधिनियम संख्यांक 5 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
यशवंत सिंह चोगल,
प्रधान सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2019

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम।
2. कतिपय विनियोग अधिनियमों का निरसन।
3. व्यावृत्तियां।
अनुसूची।

हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2019

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 22 मार्च, 2019 को यथा अनुमोदित)

कतिपय विनियोग अधिनियमों का निरसन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2019 है।

2. **कतिपय विनियोग अधिनियमों का निरसन.**—अनुसूची में विनिर्दिष्ट विनियोग अधिनियमों का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

3. **व्यावृत्तियाँ.**—इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियमिति,—

- (क) का निरसन किसी अन्य ऐसी अधिनियमितियों को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें निरसित अधिनियमिति को लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट किया गया है; या
- (ख) के निरसन से पहले की गई या हुई किसी बात या पहले से अर्जित या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा उसके विषय में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग से कोई निर्मोचन या उन्मोचन या पहले ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या
- (ग) के निरसन का प्रभाव विधि के किसी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के प्ररूप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर नहीं पड़ेगा, भले ही वह, यथास्थिति, इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा उसमें या उससे किसी रीति से पुष्ट, मान्य या व्युत्पन्न क्यों न हो; या
- (घ) के निरसन का प्रभाव संपरीक्षा, परीक्षण, लेखा, अन्वेषण, जांच या उससे सम्बन्धित किसी प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर नहीं पड़ेगा और ऐसी संपरीक्षा, परीक्षण, लेखा, अन्वेषण, जांच या कार्रवाई की जा सकती है, और, या जारी रखी जा सकती है, मानो उक्त अधिनियमितियाँ इस अधिनियम द्वारा निरसित ही न की गई हों।

अनुसूची

(धारा 2 देखें)

वर्ष	संक्षिप्त नाम
1	2
1952	हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1952 (1952 का 1)
1952	हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1952 (1952 का 2)
1952	हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1952 (अनुपूरक अनुदान) (1952 का 5)
1953	हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1953 (1953 का 7)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]